प्रेस नोट 13.11.2020

50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार–

आज दिनांक 13.11.2020 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बड़ागांव के पास से हरेन्द्र सोनकर पुत्र स्व0 शंकर निवासी बड़ागांव थाना घोसी मऊ के कब्जे से 50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 917/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की दो अदद मोबाईल के साथ एक गिरफ्तार–

आज दिनांक 13.11.2020 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 559/20 धारा 380,411 भादवि0 में प्रकाश में आया अभियुक्त रविप्रकाश पुत्र रामविजय निवासी भदसा मानोपुर थाना कोपागंज मऊ के कब्जे से चोरी की दो अदद मोबाइल कीमत लगभग 09 हजार रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त मोबाइल चोरी के सम्बन्ध मे सूचना रवीन्द सिंह निवासी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र द्वारा दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में उक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था।

जुआ खेलते 07 गिरफ्तार, फण के 2050 रूपये बरामद–

आज दिनांक 13.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा पोखरा कस्बा घोसी से जुआ खेलते नितेश मौर्या पुत्र अवधेश, राजेश पुत्र स्व0 जंगबहादुर, दिलीप पुत्र सुनील कुमार निवासीगण कस्बा घोसी के कब्जे से फण के 1300 रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 919/20 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा हलीमाबाद बाग से जुआ खेलते प्रदीप, सुरेन्द्र, दीपक, जितेन्द्र निवासीगण हलीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से फण के 750 रूपये तथा 52 ताश के पत्ते बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 774/20 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 13.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा डम्फर वाहन से दुर्घटना में एक व्यक्ति के मृत्यु मामलें मे पंजीकृत मु0अ0सं0 706/20 धारा 279,337,338,427,304 भादवि0 में वांछित अभियुक्त डम्फर चालक मनोज पासवान पुत्र रामप्यारे पासवान निवासी नगहरा थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित मॉनिटरिंग सेल में प्रभावी पैरवी पर आज दिनांक 13.11.2020 को माननीय विशेष न्यायालय पोक्सों एक्ट कोर्ट नम्बर 01 जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1225/15 धारा 452,506,376(2)झ भादवि0 व 3/4 पोक्सों एक्ट में अभियुक्त रामजीत चौहान पुत्र सीता चौहान निवासी मेलउर चंगेरी थाना घोसी मऊ को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 22 हजार रूपये जुर्माना से से दण्डित किया गया।

मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, पार्टनर सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा, व अनवर शहजाद (मेसर्स विकास कन्स्ट्रक्शन) एफसीआई गोदाम की जमीन कीमती (03 करोड़ 26 लाख) जब्त–

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.11.2020 को, जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश पर एसडीएम सदर व क्षेत्राधिकारी नगर व भारी पुलिस बल के साथ थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्र्तगत रैनी में अवैध रुप से बने एफसीआई गोदाम की जमीन (03 करोड़ 26 लाख) को जब्त किया गया है।

सम्पत्ति विवरण–

1. अराजी संख्या– 69, 68, 70, 71, 31, 42, 20, 61, 25, 23, 30, 26 में कुल 0.98381 हेक्टेयर (60 लाख 06 हजार 77 रुपये)।
2. अराजी संख्या– 40, 41, 43, 31, 20, 41, 42 में कुल 0.2704779 हेक्टेयर (23 लाख 26 हजार 110 रुपये)।
3. अराजी संख्या– 25, 23, 30, 26 में कुल 0.407206 हेक्टेयर (35 लाख 01 हजार 972 रुपये)।
4. अराजी संख्या– 25, 23, 30, 26 में कुल 0.5582398 हेक्टेयर (48 लाख 862 रुपये)।
5. अराजी संख्या– 26, 31, 42, 60, 61, 23 में कुल 0.2518 हेक्टेयर (21 लाख 65 हजार 480 रुपये)।
6. अराजी संख्या– 40, 41, 43 में कुल 0.184314 हेक्टेयर (23 लाख 96 हजार 82 रुपये)।
7. अराजी संख्या– 61 में 0.283099 हेक्टेयर (24 लाख 34 हजार 651 रुपये)।
8. अराजी संख्या– 37, 38, 42, 43 में 0.4768875 हेक्टेयर (41 लाख 01 हजार 233 रुपये)।

9, अराजी संख्या– 32. 38 में 0.294 हेक्टेयर (25 लाख 28 हजार 400 रुपये)।

इस तरह से कुल 3.4244052 हेक्टेयर जमीन (03 करोड़ 26 लाख रुपये) को जब्त किया गया। साथ ही साथ पूर्व में दिनांक 29.08.2020 को एफसीआई गोदाम की अवैध बाउड्री वाल (अनुमानित कीमत 26 लाख) को ध्वस्त कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया था।

उल्लेखनीय है कि एफसीआई गोदाम का सालान किराया जो 01 करोड़ 80 लाख प्राप्त हो रहा था उसको सरकारी खजाने में जमा कराया जायेगा।